Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 3, Issue - 1, Jan-Feb – 2020
Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.589
Received on : 27/12/2019 Accepted on : 12/01/2020 Publication Date: 28/02/2020

जोधपुर संभाग की सिंचित एवं असिंचित मरूभूमि में फलों की कृषि : (आर्थिक उन्नति का एक विकल्प)

पंकज कुमार

रिसर्च स्कॉलर, भूगोल विभाग, एस.पी.सी राजकीय महाविद्यालय
महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राजस्थान), भारत
Email - pankajntn@gmail.com

शोध सारांश : आज के इस दौर में, जहाँ एक तरफ कृषि कार्य करना किसानों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इससे कई किसान मुनाफा भी कमा रहें हैं। यह दोनों बातें विराधाभासी जरूर है, परंतु वास्तविक है। वर्तमान में सरकार द्वारा किसानों को स्वावलंबी बनाए जाने के क्रम में अनेक प्रयास हो रहे है। इसके लिए कृषि के व्यावसायीकरण की नीति अपनाई जा रही है। सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त आज के किसान के सम्मुख फलों की कृषि कर आर्थिक रूप से उन्नत होने का मार्ग खुला है। जोधपुर संभाग के मरू प्रदेश में वर्षा की अनिश्चितता के कारण फसलों की पंरपरागत खेती से फसल उत्पादन में जोखिम बना रहता है। यहाँ की मृदा हल्की रेतीली है तथा इसमें जीवांश की कमी पाई जाती है और यह मृदा वर्षा जल को सोंखकर रखने की क्षमता से रहित है। किसानों के आर्थिक हालात कमजोर होने की वजह से इस क्षेत्र में उन्नत कृषि तकनीकी सिफारिशों और तौर तरीकों को अपनाने की आवश्कता है। ऐसी स्थिति में इस प्रदेश में "फलों की कृषि" एक अच्छा विकल्प बन सकती है। इस प्रदेश में मुख्य रूप से बेर, अनार, आंवला, गून्दा, करौन्दा, नीम्बू, खजूर, अंजीर, सीताफल आदि की कृषि उपयोगी साबित होगी। इन वृक्षों का चयन सिंचाई हेतु उपलब्ध जल की उपलब्धता के आधार पर करना चाहिए। वर्तमान में सरकार, काजरी(जोधपुर) व कृषि वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयासों द्वारा जोधपुर संभाग की मरूभूमि में फलों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। परंतु फलों की कृषि का आधुनिकीकरण एवं विकास यहाँ के सीमित क्षेत्रों में ही हो पाया है। अतः यह आवश्यक है, कि यहाँ के अनुभवों एवं पद्धतियों का लाभ संभाग एवं राज्य के अन्य कृषि क्षेत्रों को भी सुलभ हो। जिससे उन क्षेत्रों में भी फलों की कृषि के प्रति सकारात्मक प्रवृति विकसित हो सके ।

संकेत शब्दः : मरूभूमि, अनार, बेर, करौंदा, गूंदा, जलवायु अनुकूलित खेती ।

१ प्रस्तावना :

वर्तमान दौर में कुछ किसानों की जुबानी सुनते है तो पता चलता है कि कृषि कार्य करना अब उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है तथा कृषि वर्तमान में एक घाटे का सौदा बनकर उनके सामने खड़ी हो गई है, तो दूसरी तरफ कुछ नौजवान बड़ी–बड़ी कंपनियों के बड़े–बड़े पैकेज को छोड़कर कृषि कार्य में लग गई जाते है तथा उससे बहुत बड़ा मुनाफा भी कमा लेते है। यह दोनों बातें ही आपस में विरोधाभासी सी है। परंतु यह सब एक दम सच है, जो व्यक्ति कुछ अलग और नया करने की सोच रखते हैं, वे कृषि में व्यवसायिकरण की नीति अपनाकर स्वावलंबी बनते है।

वर्तमान में सरकार द्वारा किसानों को स्वावंलंबी बनाए जाने के क्रम में अनेक प्रयास हो रहे है। किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कार्ययोजना का सुझाव देने के लिए वर्ष 2004 में **डॉ. एम स्वामीनाथन** की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आयोग ने दिसम्बर 2004, अगस्त 2005, दिसंबर 2005, अप्रैल 2006 तथा अक्टूबर 2006 में अपनी पांच अंतरिम रिर्पोट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में किसानों के लिए एक विस्तृत नीति के निर्धारण की संस्तुति की गई। इसमें कहा गया कि सरकार को सभी कृषिगत उपजों के लिए विशेषतः वर्षा आधारित कृषि वाले क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य उचित समय पर प्राप्त हो सके।

सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त आज के किसान के सम्मुख फलों की कृषि कर आर्थिक रूप से उन्नत होने का मार्ग खुला है। जोधपुर संभाग के मरू प्रदेश में वर्षा की अनिश्चितता के कारण फसलों की परम्परागत खेती से फसल उत्पादन में जोखिम बना रहता है। इस क्षेत्र में समय पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा का होना, बीच–बीच में सूखे की स्थिति बनना, फसल अवस्थाओं की जरूरत के हिसाब से वर्षा का वितरण सही नहीं होना और मानसून प्रत्यावर्तन काल पहले या समय पूर्व हो जाने आदि कारणों से **'बारानी कृषि'** द्वारा होने वाला उत्पादन प्रभावित होता है। जोधपुर संभाग की मरूभूमि की मृदा हल्की रेतीली है तथा इसमें जीवांश की कमी पाई जाती है और यह मृदा वर्षा जल को सोंख कर रोकने की क्षमता से रहित है। किसानों के आर्थिक हालात कमजोर होने की वजह से उन्नत कृषि तकनीकी सिफारिशों या तौर तरीकों को काम में नहीं लिए जाने के कारण कृषि फसलों में अस्थिरता बनी रहती है। इस प्रदेश में फलों को कृषि एक

अच्छा विकल्प बन सकती हैं। मरू प्रदेश में मुख्य रूप से **बेर, अनार, आंवला, गून्दा, करौन्दा, नीम्बू, बेल, खजूर, अंजीर, सीताफल** आदि की कृषि उपयोगी साबित होगी। इन वृक्षों का चयन सिंचाई हेतु उपलब्ध जल की उपलब्धता के आधार पर करना चाहिए।

बेर, करौन्दा, गून्दा, झड़, बेर आदि की कृषि आरंभिक दौर में वर्षा जल सिंचाई द्वारा आरम्भ की जा सकती है, बड़े होने पर ये वृक्ष किसानों को लाभ प्रदान करते है। अन्य फलों के वृक्षों को सिंचाई जल की उपलब्धता के आधार पर उगाया जाता है जैसे– अनार, आंवला, सीताफल, नीम्बू, खजूर आदि। अतः जोधपुर संभाग के वे क्षेत्र जो नहरी सिंचाई के अंतर्गत आते हों या स्थानीय सिंचाई विधियों की उपलब्धता वाले स्थानों पर इन वृक्षों द्वारा फलों का उत्पादन कर लाभ कमाया जा सकता है।

बेर की कृषि :– बेर के वृक्ष तथा कृषि जोधपुर संभाग के शुष्क क्षेत्रों, जहाँ सिंचाई की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, वहाँ के लिए भी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेर के फलों में विटामिन–सी, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस आदि होते है जिसकी तुलना सेब के फल से की जाती है, फलों के अतिरिक्त भी इस वृक्ष से पशु चारा, ईंधन हेतु जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती हैं।

बेर की कृषि में बाग लगाने के दो या तीन वर्षों के दौरान बेर की पौध को निश्चित आकार तथा निश्चित दिशा में मोड़ा जाता है, जिससे ये सही आकार तथा सही दिशा में विकसित हो सके। ग्रीष्म ऋतु में मुख्य रूप से मई तथा जून के माह में कटाई की जाती है। बेर के पौधों पर फल और फूलों का विकास नवीन शाखाओं पर होता है। इसी कारण प्रतिवर्ष पुरानी शाखाओं का कुछ भाग आगे से काट लिया जाता हैं, छोड़े गये भाग से स्वतः ही नवीन शाखाओं का विकास प्रारंभ हो जाता है और इन्हीं नवीन शाखाओं पर पहले फूल आते है तथा फिर बेर के फल लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पुरानी शाखाओं को हटाया जा चुका है जिस कारण नवीन शाखाओं का विकास में कोई बाधा नहीं होती है और उन्हें पर्याप्त वृद्धि के लिए जगह मिल जाती है।

बेर की कृषि हेतु गोबर की खाद या बकरियों द्वारा उत्सर्जित मल को प्रयोग में लिया जाता है। इसके साथ ही फॉस्फोरस तथा नत्रजन को भी खाद के रूप में प्रयोग लिया जाता है। इसके अलावा बोरोन और जिंक सल्फेट के घोल का प्रयोग भी फलों के वृद्धि के समय किया जाता है। खाद के अतिरिक्त बाजार से मिलने वाले कीट रक्षा घोलों का छिड़काव भी समय–समय पर किया जाता है जिससे पौधों की रक्षा की जा सके तथा पौधों से समुचित फलों की प्राप्ति हो सके।

बेर के पौधे की जड़ का प्रयोग दवाईयों में भी किया जाता है अतः इसको भी बेच कर किसान धन कमा सकते हैं। बेर का प्रयोग कई दवाईयों में होने के कारण भी यह फसल किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान करती है।

आंवला की कृषि :– आवंला एक औषधीय फल है जिसमें खनिज लवण तथा विटामिन–सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके लिए क्षारीय मृदा जिसका पी.एच. मान अधिक होता है, उपयुक्त होती है तथा शुष्क प्रदेशों में भी यह फसल कम देख–रेख और खर्च में पनप सकती है। इसमें गोबर की खाद के अतिरिक्त सुपर फॉस्फेट तथा यूरिया द्वारा अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। जोधपुर संभाग के वे क्षेत्र जहाँ शुष्कता अधिक है यथा जैसलमेर, बाड़मेर तथा जोधपुर के कुछ भागों में जहां बलुई मृदा पायी जाती है, में बार–बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। अन्य क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। शुष्क क्षेत्रों में जलवायु विशिष्टता के कारण आवलें के पौधों में कोई बड़ी कीट व्याधियाँ देखने को मिलती है।

अनार की कृषि :– अनार के उत्पादन में वर्तमान में जोधपरु संभाग के शुष्क जिले अपनी भागीदारी दे रहे है। वर्तमान में बाड़मेंर जिले के वे क्षेत्र जहाँ नर्मदा नदी के जल द्वार सिंचाई उपलब्ध हो रही है जैसे गुढ़ामालानी प्रदेश तथा जालौर के सांचोर क्षेत्र में स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति द्धारा अनार की कृषि की जा रही है क्योंकि अनार के सफल उत्पादन के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण कारक है। अनार में टपक सिंचाई या बूदं–बूंद सिंचाई लाभप्रद होती है, क्योंकि इसके द्वारा एक तो जल का दुरूपयोग नहीं होता है तथा दूसरा शुष्क प्रदेश में जल के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली समस्याओं से बचा सकता है।

वर्तमान में सरकारी स्तर पर भी अनार की कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो किसान अपने खेतों में अन्य फसलों का उत्पादन करते हैं, वे भी मेड़बंदी के रूप में अनार के वृक्षों का रोपण करके दोहरा आर्थिक लाभ कमाना चाहते है। अनार की कुषि में मुख्य रूप से आरम्भ में जब पौधे बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हें निश्चित दिशा देने के अतिरिक्त जमीन की सतह से निकलने वाली शाखाओं को समय–समय पर हटाते रहना होता है तथा वे टहनियां जो सूख चुकी है उन्हें हटा कर पौधे को वृद्धि प्रदान की जाती है। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व तथा उर्वरक डाले जाते है, सामान्य रूप से गोबर की खाद उपयोगी होती है। अनार के पौधों में फल लगने शुरू होने के बाद वर्ष में दो बार उनको सही समय होते ही तोड़ना चाहिए। यह एक आर्थिक रूप से उपयोगी कृषि है।

गून्दे की कृषि :– अधिकांश गून्दे की कृषि में बीज द्वारा ही पौधों को उगाया जाता है परंतु फिर भी कुछ किसान अंकुरण द्वारा भी इसकी कृषि करते है। जून के महीने में इसे बोया जाता है, यह एक खरीफ की फसल है। गून्दे को 'लसोड़ा' भी कहा जाता है। यह फल बहुउपयोगी होता है। राजस्थान में मुख्य रूप से इसे सुखाकर, परिरक्षित करके वर्ष भर प्रयोग किया जाता है। यहाँ बनने वाली शाही सब्जी पंचकूटा में सूखा हुआ लसोड़ा भी मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस फल को कच्चा भी प्रयोग में लिया जाता है। बड़े फल वाले गून्दों या लसोड़ों का प्रयोग अधिक होता है। छोटे गून्दों का प्रयोग पौधों के कलिकायन के लिए किया जाता है।

इसमें पौधे के शुरूआती वर्षों में मुख्य रूप से पहले तीन वर्षों तक अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। बाद में थोड़ी बहुत सिंचाई से भी पौधे का विकास अवरूद्ध नहीं होता है। पेड़ जमीन से ऊपर आने के पश्चात चारों दिशाओं में फैलता है तथा इसके लिए भी मुख्य रूप से गोबर की खाद उपयोगी है। इसमें गून्दे को पूरी तरह से विकसित होने से पूर्व ही तोड़ लिया जाता है, जब वे हरे होते है तथा जब फलों का प्रयोग बीज तैयार करने के लिए होता है तब फलों को पूर्णतः पकने तक अर्थात् पीला होने तक तोड़ा जाता है। इस प्रकार यह भी एक आर्थिक फसल है।

करौन्दे की फसल :–करौन्दा भी एक बहुपयोगी फसल है। करौन्दे के फलों से चटनी, जैली, स्कवेश, पुडिंग, सब्जी, अचार आदि बनाये जाते है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में करौन्दे की झाड़ियों का उपयोग किसान अपने खेतों में बाड़ बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि यह एक कांटेदार झाड़ी वाला पौधा है तथा जब यह पूरी तरह विकसित होता है तब घनी कांटेदार झाड़ी का रूप ले लेता है। इस प्रकार यह पौष्टिक फल देने के अतिरिक्त बाड़ का कार्य भी करता है। करौन्दे का वृक्ष एक बार लगाने के पश्चात नियमित फल प्रदान करने के साथ ही रक्षक मेखला का काम भी करते है।

इसके लिए गोबर की खाद के अतिरिक्त यूरिया डाला जा सकता है परंतु इसकी कोई अधिक आवश्यकता नहीं होती है। जोधपुर संभाग में पायाी जाने वाली बलुई मृदा तथा शुष्क जलवायु में यह पौधा या झाड़ी बहुत आसानी से पनपता है। यह एक सूखा रोधी झाड़ी है जो दो प्रकार की होती है एक सफेद फलों वाला करौंदा तथा दूसरी हरे रंग का करौंदा। यह विभाजन लोगों द्वारा देखा जाता है परंतु यदि करोंदे के वृक्ष का सूक्ष्म रूप से अध्ययन नहीं किया जाए तो यह अंतर पता नहीं चलता है, क्योंकि दोनों प्रकार के करौंदो में झाड़ी देखने में एक जैसी ही लगती है जबकि मूल अन्तर फलों का होता है।

करौंदे के पौधों को कटाई तथा छटाईं की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि किसान इसका प्रयोग बाड़ के रूप में करता है अतः इन बाड़ों को घना होने दिया जाता है। इस झाड़ी में सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है परंतु यदि करौंदे की झाड़ी से नियमित रूप से फलों की प्राप्ति चाहिए तो इसमें सिंचाई करनी पड़ती है।

२ निष्कर्ष :

वर्तमान में जोधपुर संभाग में बदलते हुए परिवेश के साथ ही साथ कृषि तथा कृषि व्यवस्था में भी आमूल–चूल परिवर्तन हुए हैं। प्राचीनकाल में कृषि जहाँ जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन थी, वहीं विभिन्न चरणों से गुजरते हुए इसका स्थान व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक कृषि ने ले लिया है। सरकार, काजरी (जोधपुर) वे कृषि वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयासों द्वारा यहाँ की मरूभूमि में फलों की **"जलवायु अनुकूलित खेती"** कर कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। परंतु फलों की कृषि का आधुनिकीकरण एवं विकास यहाँ के सीमित क्षेत्रों में ही हो पाया है। अतः यह आवश्यक है कि यहाँ के अनुभवों एवं पद्धतियों का लाभ संभाग एवं राज्य के अन्य कृषि क्षेत्रों को भी सुलभ हो। जिससे उन क्षेत्रों में भी फलों की कृषि के प्रति सकारात्मक प्रवृति विकसित हो सके।

lanHkZ xzUFk lwph :

१ कौशिक और गर्ग (2013) –"संसाधन एवं पर्यावरण" रस्तोगी पब्लिकेशन, शिवाजी रोड़, मेरठ।
२ चौहान, टी.एस. (1998) –राजस्थान का भूगोल, विज्ञान प्रकाशन , जोधपुर।
३ तिवारी, आर.सी. (2003) –भारत का भूगोल, इलाहाबाद, प्रयाग पुस्तक भवन।
४ भल्ला, डॉ एल.आर (2003.2004) –"राजस्थान का भूगोल" कुलदीप पब्लिकेशन , अजमेर।
५ राज्य दूर संवदेन संभाग –"आयुर्वेदिक चिकित्सकीय पौधे" राजस्थान की मानचित्रावली।
६ शर्मा, राजकुमार (2014)–"राजस्थान का वुहद् भूगोल" हिमांशु पब्लिकेशन , उदयपुर (राजस्थान)। कुरूक्षेत्र।